

सेवा में,

केन्द्रीय सूचना जन अधिकारी  
फार कन्ट्रोल ऑफ पब्लिकेशन  
गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया  
डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिकेशन  
(मिनिस्ट्री ऑफ़ अर्बन डेवलपमेंट)  
दिल्ली

2/54  
05-6-15  
Po-70/-

~~...~~  
~~...~~  
~~...~~  
विशेष अधिकारी

4  
5/6

विषय - सूचना के आधिकार - 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हेतु।

महोदय,

सौजन्य निवेदन है कि मैं प्रार्थी - राजीव गुप्ता, उ.प्र. राज्य सरकार में सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी हूँ। मुझे अपने नाम के टाइटल में संशोधन करना है जिस पर मुझे निम्न विन्दुओं का सूचना प्रदान करें -

- 1 \* नाम के टाइटल में संशोधन हेतु क्या-क्या प्रक्रियाएँ हैं
- 2 \* इस प्रक्रिया के होने में कितना समय लगता है।
- 3 \* इसमें सरकारी शुल्क या व्यय कितना है।
- 4 \* टाइटल संशोधन हेतु निम्नो की पतावली वा संकलित करें।

उपरोक्त सभी विन्दुओं पर मुझे जल्द से जल्द सविज्ञापन से सूचना देने की कृपा करें।

प्रार्थी

राजीव गुप्ता

पता - गफफार कटरा, युसुफपुर  
मुहम्मदाबाद

जिला - गाजीपुर (U.P.)

फोन - 233227

संलग्न -

पोस्टल ऑर्डर नं. -

1) 73C 441242

2) 73C 441241

दिनांक - 31/5/2015



भारत सरकार

प्रकाशन विभाग

शहरी विकास मंत्रालय

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

Website: [www.deptpub.gov.in](http://www.deptpub.gov.in)

Email: [acop-dep@nic.in](mailto:acop-dep@nic.in) (&) [pub.dep@nic.in](mailto:pub.dep@nic.in)

TEL.: 2381 7823 /2381 9689 Fax: 2381 7846.

स्पीड पोस्ट बाय

सं: ओ. एण्ड एम./20012/2015

दिनांक: 30 जून, 2015

सेवा मे

श्री राजीव गुप्ता,

गफफार कटरा, युसुफपुर,

मुहम्मदाबाद, जिला- गाजीपुर,

उत्तर प्रदेश- 233 227

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,


आपके पत्र दिनांक 31.05.2015, जो इस विभाग में दिनांक 05.06.2015 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में मांगी गयी सूचना बिंदुवत निम्नलिखित है-

1. शीर्षक मे संशोधन हेतु प्रक्रिया क्रम सं. (I) से (vii) तक प्रारूप मे उल्लिखित है(प्रतिलिपि संलग्न)।
2. आपके द्वारा प्राप्त दस्तावेज सही होने पर 45 दिन का समय लगता है।
3. कृपया प्रारूप मे क्रम सं. 5 का अवलोकन करें (प्रतिलिपि संलग्न)।
4. शीर्षक मे संशोधन हेतु नियम प्रारूप मे क्रम सं. 1 से 13 तक दिए गए हैं। कृपया उनका अवलोकन करें (प्रतिलिपि संलग्न)।

यदि आप उपरोक्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं है तो प्रथम अपिलिय प्राधिकारी/ नियंत्रक प्रकाशन से निर्धारित समयावधि में अपील कर सकते है ।


संलग्न -: यथोपरि।

भवदीय,



(लूसी ज्योति बेक)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

  
30.06.2015  
30/06/15